प्रेस नोट –दिनांक-24.08.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के कुशल निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा आलोक कुमार गुप्ता के मकान के पीछे वाले हिस्से कस्बा राजापुर से 07 किलो 500 ग्राम सूखा गाँजा नाजायज व लगभग 02क्विंटल अवैध भांग कीमत लगभग 02 लाख रुपये बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि आज दिनाँक-23.08.2020 प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि वार्ड नम्बर 11 दक्षिणनाका पूर्वी भाग कस्बा राजापुर निवासी आलोक कुमार गुप्ता पुत्र विद्यासागर गुप्ता के घर के पिछले हिस्से में किराएदार के रूप में रह रहे लल्ली याचिक उर्फ लल्ला सेन जो कही बाहर से अवैध गाँजा व भांग लाया है । इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक राजापुर मय पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार श्री पुष्पेंद्र गौतम को लेकर आलोक कुमार गुप्ता के घर पर पहुचे तो पुलिस टीम को चकमा देकर अभियुक्त लल्ली याचिक उर्फ लल्ला सेन पुत्र दुर्गाप्रसाद सेन निवासी गुड़मण्डी चितहाई कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट घर के पीछे बने खंडहर के रास्ते भाग निकला। पुलिस टीम द्वारा घर के पीछे वाले हिस्से में बने कमरे की तलाशी ली गयी तो उसमें गाँजा व भांग रखा हुआ था। मकान मालिक आलोक कुमार गुप्ता से पूछताछ की गयी तो बताया कि लल्ली याचिक उर्फ लल्ला सेन पुत्र दुर्गा प्रसाद सेन निवासी मुहल्ला गुड़मण्डी चितहाई कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट इस कमरे में किराए से रहता है। बरामदशुदा 07 किलो 500 ग्राम गाँजा व लगभग 02 क्विंटल भांग की कीमत लगभग 02 लाख रुपये होती है। बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त लल्ली याचिक उर्फ लल्ला सेन के विरूद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 147/2020 धारा 08/20 NDPS एक्ट व धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

1. 07 किलो 500 ग्राम सूखा गाँजा नाजायज

2. 02 क्विंटल भांग अवैध

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर

2. श्री पुष्पेंद्र गौतम नायब तहसीलदार राजापुर

3. वरि0उ0नि0 श्री श्याम सुंदर यादव

4. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार

5. उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव

6. आरक्षी मनीष कुमार

7. आरक्षी राहुल पाण्डेय

8. आरक्षी विनोद

9. आरक्षी अजीत कुमार.

(2). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों के कब्जे से 10 लीटर अवैध महुआ निर्मित शराब व अवैध 12 अदद देशी ठेका क्वार्टर बरामद किया गया।

1. श्री तपेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सरैंया तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त हीरालाल पुत्र सिकवार निवासी हनुआ थाना मानकपुर चित्रकूट को राजापुर मोड़ सरैंया से 10 लीटर महुआ निर्मित अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. श्री तपेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सरैंया

2. आरक्षी विवेकानन्द

2. उ0नि0 श्री सन्तराम मौर्या थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र सिंह पुत्र असरफी लाल निवासी छिवलहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को छिवलाहा थाना मऊ से 12 अदद देशी क्वार्टर नाजायज शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगीः-

12 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री सन्तराम मौर्या थाना मऊ
2. आरक्षी होलीकेन्द्र कुमार
3. आरक्षी कैलाश

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चैकिंग अभियान में दिनाँक 23.08.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना कोतवाली कर्वी में 10 व्यक्तियों विरूद्ध, तथा थाना पहाड़ी में 05 व्यकियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। सभी से अपील की जाती है कि शासन के आदेशों निर्देशों का पालन करें।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में निरीक्षक अपराध श्री सतीश कुमार पाण्डेय थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा ग्राम बरियारी खुर्द में घटना कारित करने वाले तीनों अभियुक्तों को 19 घण्टे के अन्दर आलाकत्ल के हसुआ व लाठी के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

दिनाँक-23.08.2020 को रामभवन निषाद पुत्र देवशरण निवासी बरियारी खुर्द थाना मऊ जनपद चित्रकूट अपने खेत मे जानवर ताक रहा था। उसी समय (1) मुन्ना उर्फ प्रदीप बिल्लौहा पुत्र रामनारायण (2) बऊआ (3) नान पुत्रगण मुन्ना उर्फ प्रदीप बिल्लौंहा निवासीगण बरियारी खुर्द थाना मऊ जनपद चित्रकूट, 02-03 माह पूर्व हुए बच्चों के विवाद में बीच-बचाव करने की खुन्नस में हसुवा व लाठी लेकर आए एवं मारपीट कर गिरा दिया, गांव वालों द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी, SHO मऊ द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर घायल को chc मऊ में भर्ती कराया गया। जहां से डॉक्टरों द्वारा जिलाचिकित्सालय कर्वी रिफर कर दिया गया। जिलाचिकित्सालय में इलाज के दौरान रामभवन निषाद की मृत्यु हो गयी। घटना के सम्बन्ध में मृतक रामभवन की पत्नी श्रीमती सुरतिया की तहरीर पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 180/2020 धारा 304/323/324/504 भादवि0 बनाम (1) मुन्ना उर्फ प्रदीप बिल्लौहा पुत्र रामनारायण (2) बऊआ (3) नान पुत्रगण मुन्ना उर्फ प्रदीप बिल्लौंहा निवासी बरियारी खुर्द थाना मऊ जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। निरीक्षक अपराध श्री सतीष पाण्डेय को मुकदमें की विवेचना एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

निरीक्षक अपराध द्वारा अपनी टीम के साथ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये गये जिसमें सफलता प्राप्त करते हुये आज दिनाँक 24.08.2020 को समय करीब 04.30 बजे सुबह अभियुक्त 1. मुन्ना 2. बऊवा 3. नान उपरोक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी। अभियुक्तों की निशा देही पर घटना में प्रयुक्त 02 हसुआ व 01 लाठी बरामद की गयी। इस प्रकार घटना के 18 घण्टे के अन्दर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

बरामदगीः-

02 आलाकत्ल हसुआ

01 आलाकत्ल लाठी

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. निरीक्षक अपराध श्री सतीश कुमार पाण्डेय थाना मऊ
2. उ0नि0 श्री सन्तराम मौर्य
3. आरक्षी शिवम मिश्रा

4. आरक्षी विवेक यादव
5. आरक्षी अंकित सचान